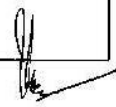


भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	33 के.व्ही. गौरझामर देवरी ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 2.070 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दी जाती है।
----	---	----	---

तिथि: 05.02.2016

स्थान: भोपाल


(सी.पी. राय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्राप्त)
मध्य प्रदेश, भोपाल